

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, भागलपुर

पत्रांक
प्रेषक,

717 / भागलपुर

दिनांक 30/05/2021

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, भागलपुर।

सेवा में,

श्री गोविन्द भगत,

विषय : पथ निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गुणवत्ता पूर्ण पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य तीन दिनों के अन्दर पूर्ण करने के संबंध में।

महाराय,

उपर्युक्त विषयक शेजना शीर्ष MMGSY (SC) के अधीन Mahadalit Tola kasmabad House of Sakaldeo to Goriyasi तक पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के बाद पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्य भी करना एकराररित है।

अतः एकरारनामा के प्रावधान एवं मानक के अनुरूप तीन दिनों के अन्दर अनुरक्षण कार्य पूर्ण करते हुये अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि आपके द्वारा कार्य करने में शिथिलता या असमर्थता के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो आपके एकरारनामा को विखण्डित करने एवं अग्रधन तथा SD, PSD की राशि जब्त करते हुये निबंधन को कालो सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही विभागीय तौर पर Maintenance कार्य कराने की कार्रवाई की जायेगी और कराये जाने वाले अनुरक्षण कार्य में होने वाले व्यय की राशि भी आपसे वसूल की जायेगी।

इसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, भागलपुर